

क्र. 31/2016

# अवनी सिंह बनाम जवाहर सिंह वगैरे

T.I

24/11/18

वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य  
स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत  
... 26/11/18 ...  
को पेश हो। क२


26/11/18

व.क. उपरोक्त समय चाहते थे पुनः न्यायक्षेत्र  
में आने में अड़सु दिया जाता है आगामी पेशी  
में अड़सु नहीं करने पर पत्रावली में गुणागुण  
या रिज्जामु का दिया जायेगा पत्रावली का  
अड़सु न-1. दिनांक 17/12/18 को पेश हो।



17/12/18

पत्रावली पेश हुई। व.क. उपरोक्त वकील पार्थी को अड़सु  
सुनी गई। वकील अग्रणी को अड़सु नहीं की। पत्रावली  
का अड़सु लेकन किया गया। अड़सु पर मनन किया।  
मुख्य वाद चोपना अर्थार्थ निषेधासा का दो प्रकरण  
में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13/7/16 को अन्तरिम  
अर्थार्थ निषेधासा जारी की हुई है अतः अन्तरिम  
अर्थार्थ निषेधासा को ताकिसुला मुख कड कन्फर्म  
किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः इस न्यायालय  
द्वारा जारी अन्तरिम अर्थार्थ निषेधासा दिनांक  
13/7/16 को ताकिसुला मुख वाद कन्फर्म किया  
जाएगा। ताकिसुला मुख वाद के मध्य वाद कटुपता  
न बदे। पत्रावली के मुख अग्रणी के पत्रावली पर न  
को कम हो तथा मुख वाद के साथ रहे।

  
न्यायालय कलकत्ता  
चौथे फ्लोर

